पत्र संख्या–विधि / 2018–19 / —94— / 1819062 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(विधि अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: नवम्बर 02, 2018

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषयः कार्पोरेट सर्किल के व्यापारियों को उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर अधिनियम के अन्तर्गत वादों के निस्तारण हेतु ई–हियरिंग की सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर प्रणाली के अन्तर्गत कार्पोरेट सर्किल का गठन इस उद्देश्य के साथ किया गया था कि प्रत्येक जोन की 50 बड़ी–बड़ी कम्पनियों / फर्मों का क्षेत्राधिकार कार्पोरेट सर्किल के अन्तर्गत हस्तान्तरित करके राजस्व दृष्टि से बड़े टैक्स पेयर की मॉनीटरिंग ज्वाइण्ट कमिश्नर स्तर के अधिकारियों से करायी जाये। इसी निर्णय के तहत प्रत्येक जोन में ज्वाइण्ट कमिश्नर स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में एक–एक कार्पोरेट सर्किल का गठन किया गया था। विगत कुछ वर्षों से प्रदेश के कतिपय कार्पोरेट सर्किल के अधिक्षेत्र की कम्पनियों / फर्मों से उनके वादों के निस्तारण / कर निर्धारण में अनावश्यक विलम्ब की निरन्तर शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जो कार्पोरेट सर्किल के गठन की मंशा के विपरीत है।

यह सर्वविदित तथ्य है कि बड़ी–बड़ी कम्पनियों, मल्टीनेशनल कम्पनियों द्वारा व्यापारिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से एकाउण्टिंग हेतु प्रतिष्ठित कम्पनियों के गुणवत्तापरक, स्तरीय एवं फुल प्रूफ सॉफ्टवेयर यथा सैप, टैली आदि सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। ऐसी कम्पनियों की लेखा–पुस्तकें सॉफ्ट कापी में आसानी से उपलब्ध रहती हैं। अतः इन लेखा पुस्तकों को परीक्षण हेतु कार्यालय में मंगाए जाने के स्थान पर पहले सॉफ्ट कापी प्राप्त कर परीक्षण किया जा सकता है।

वैट कर प्रणाली में रिटर्न दाखिल किये जाने के तुरन्त बाद ही रिटर्न की परिनिरीक्षा किये जाने का प्राविधान है। अतः ऐसी कम्पनियों / फर्मों के रिटर्न की जाँच के दौरान प्रथम दृष्टया यदि कोई त्रुटि / विसंगति नहीं पायी जाती है, साथ ही वार्षिक कर विवरणी (फार्म–52) की जाँच पर भी कोई त्रुटि / विसंगति नहीं पायी जाती है तो ऐसे मामलों में अधिनियम की धारा–27 के अन्तर्गत व्यापारी द्वारा घोषित खरीद–बिक्री को स्वतः स्वीकार मान लिये जाने के प्रावधान हैं। यदि किसी मामले में व्यापारी द्वारा दाखिल मासिक कर विवरणी (रिटर्न) तथा वार्षिक कर विवरणी (फार्म–52) की जाँच पर कोई त्रुटि / विसंगति पायी जाती है तो ऐसे मामलों में व्यापारी को नियम–45(13) के अन्तर्गत ऑन लाइन नोटिस जारी करते हुए 15 दिन के अन्दर उक्त त्रुटि / विसंगति को सुधारने का अवसर प्रदान किया जाता है। यदि व्यापारी द्वारा नोटिस में इंगित त्रुटि का निराकरण कर दिया जाता है तो व्यापारी का वाद धारा–27

के अन्तर्गत स्वतः कर निर्धारित मान लिया जायेगा। परन्तु संज्ञान में आ रहा है कि अधिनियम/नियमावली में प्राविधानित उपर्युक्त व्यवस्थानुसार व्यापारी द्वारा समुचित कार्यवाही समयान्तर्गत किये जाने पर भी कतिपय कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा छोटी–छोटी तकनीकी त्रुटियों के आधार पर व्यापारियों को धारा–27 की परिधि से बाहर करते हुए धारा–28 के अन्तर्गत लेखा–पुस्तकों के परीक्षण हेतु चयन किया जा रहा है किन्तु विस्तृत सुनवाई के उपरान्त भी सामान्यतः कोई मांग भी सृजित नहीं हो पा रही है, जिससे इस तथ्य की पुष्टि होती है कि तकनीकी त्रुटियां जिसका समाधान नियम 45(13) के अन्तर्गत कार्यवाही के माध्यम से कराया जा सकता है, वह न करके पुनः धारा–28 के अन्तर्गत लेखा–पुस्तकों/अभिलेखों के परीक्षण की अपेक्षा की जाती है।

कार्पोरेट सर्किलवार वादों के निस्तारण की समीक्षा करने पर यह तथ्य भी संज्ञान में आया है कि वित्तीय वर्ष की एक लम्बी अवधि तक वादों के निस्तारण की प्रगति नगण्य रहती है तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के समय बड़ी संख्या में एक पक्षीय रूप से वादों का निस्तारण कर दिया जाता है। साथ ही जो वाद सुनवाई बाद निस्तारित किए जा रहे हैं उनमें सृजित मांग की स्थिति भी नगण्य है जिससे स्पष्ट है कि मात्र तकनीकी आधार पर धारा 28 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

उपर्युक्त तथ्यों के दृष्टिगत कार्पोरेट सर्किल के व्यापारियों के मामलों में कर निर्धारण की कार्यवाही ई–हियरिंग के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया है, इसकी प्रक्रिया निम्नवत् निर्धारित की जाती हैः–

1. धारा–45(13) तथा 28(2) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु स्वतः स्पष्ट नोटिस ऑनलाइन जारी की जायेगी, जिसमें उन सभी बिन्दुओं का उल्लेख किया जायेगा, जिसके आधार पर व्यापारी की घोषित खरीद, बिक्री, दाखिल आई0टी0सी0 आदि को विश्वसनीय नहीं पाया गया है तथा वाद का चयन नियमित कर निर्धारण हेतु किया गया है।
2. उक्त नोटिस में ही वांछित लेखा पुस्तकों का उल्लेख किया जायेगा, जिन्हें व्यापारी द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाना है।
3. धारा–45(13) तथा 28(2) के अन्तर्गत निर्गत ऑनलाइन नोटिस व्यापारी को ई–सर्विसेज लॉगिन पर उपलब्ध हो जायेगी। इसके साथ ही नोटिस जनरेट होते ही व्यापारी के रजिस्टर्ड ई–मेल आई0डी0 पर नोटिस से सम्बन्धित ई–मेल तथा रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर एसएमएस प्रेषित हो जायेगा।
4. वैट व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत व्यापारी को ई–सर्विसेज हेतु लॉगिन उपलब्ध कराया गया था। उक्त ई–सर्विस लॉगिन पर व्यापारी द्वारा पूर्व से प्रयोग किये जा रहे यूजर आई0डी0 व पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर ऑन लाइन हियरिंग के अन्तर्गत "View Notice & Submit Reply" के Link पर Click किया जायेगा।
5. उक्त लिंक पर क्लिक करने पर व्यापारी के लिये निर्गत समस्त ऑनलाइन नोटिस स्क्रीन पर उपलब्ध हो जायेगी। व्यापारी द्वारा जिस नोटिस का उत्तर दिया जाना है, उस नोटिस संख्या के सम्मुख ही Reply Button पर क्लिक करने पर Pop Up में उत्तर अंकित करने हेतु Screen उपलब्ध हो जायेगी।

6. उक्त Screen में व्यापारी द्वारा अपने उत्तर से सम्बन्धित प्रपत्रों को अपलोड भी किया जा सकता है। प्रपत्रों को अपलोड करते समय Type of Document Filed के अन्तर्गत प्रपत्रों के प्रकार का भी अंकन करना होगा। व्यापारी द्वारा उक्त विवरण का सबमिट करने पर यह विवरण सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी के लॉगिन पर उपलब्ध हो जायेगा।
7. यदि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वांछित किसी फार्म आदि की मूल प्रति दाखिल करायी जानी अपेक्षित हो तो कर निर्धारण अधिकारी द्वारा माड्यूल के माध्यम से ही व्यापारी को सूचना दी जाएगी, जिसमें कार्यालय के अधिकृत कार्मिक (नाम/पदनाम सहित) का उल्लेख किया जाएगा, जिसे मूल अभिलेख हस्तगत कराए जाने हैं। अधिकृत कार्मिक द्वारा प्राप्त अभिलेखों की पोर्टल जनरेटेड प्राप्ति रसीद जारी की जाएगी। अभिलेख वापसी के लिए भी यही प्रक्रिया अपनायी जाएगी।
8. व्यापारी द्वारा अपना उत्तर/स्पष्टीकरण पीडीएफ प्रारूप में दिया जायेगा और उक्त प्रारूप का आकार एक एकल ई–मेल में 10 एमबी से ज्यादा नहीं होगा।
9. यदि उक्त उत्तर/स्पष्टीकरण का आकार 10 एमबी से ज्यादा का होता है तब व्यापारी द्वारा अपने उत्तर/स्पष्टीकरण को भागों में विभाजित कर लिया जायेगा। प्रत्येक भाग का आकार 10 एमबी के आकार से ज्यादा का नहीं होगा। उत्तर/स्पष्टीकरण के प्रत्येक भाग में अधिकारी द्वारा प्रेषित किये गये नोटिस की संख्या व दिनांक का उल्लेख किया जायेगा।
10. कर निर्धारण मॉड्यूल में व्यापारी का स्पष्टीकरण अपेक्षित संलग्नकों सहित प्राप्त होने के उपरान्त कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वाद का निस्तारण गुण–दोष के आधार पर स्पष्टीकरण प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर किया जायेगा। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश निर्गत करते ही उक्त आदेश की सॉफ्ट कापी सम्बन्धित व्यापारी के ई–सर्विसेज लॉगिन पर उपलब्ध हो जायेगी। वाद में मांग सृजित होने पर मांग पत्र नियमानुसार आदेश के साथ ही निर्गत किया जायेगा।
11. यदि व्यापारी किसी कारणवश नोटिस में उल्लिखित दिनांक तक अपना जवाब दाखिल करने में सक्षम नहीं हैं तो वह ई–सर्विसेज लॉगिन के अन्तर्गत Application for date extention के Link पर क्लिक करेगा। इसके पश्चात् समस्त नोटिस संख्या के सम्मुख उपलब्ध Application के Button पर क्लिक करके नये दिनांक का अनुरोध अंकित करेगा। उक्त Screen पर सबमिट करते ही उक्त आवेदन सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी के लॉगिन पर उपलब्ध हो जायेगा। सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त आवेदन को ऑनलाइन Allow या Disallow किया जायेगा। Disallow करने पर कारण Remarks में अंकित करना आवश्यक होगा।
12. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्गत नोटिस के सम्बन्ध में व्यापारी द्वारा उत्तर/निस्तारण दिये जाने के बाद भी यदि कर निर्धारण अधिकारी को किसी बिन्दु पर और सूचना की आवश्यकता हो तो कर निर्धारण अधिकारी द्वारा Additional Information के बिन्दु पर Click कर आवश्यक सूचनाओं का अंकन

किया जायेगा। उक्त Additonal Information का उत्तर व्यापारी द्वारा Additional Information के Link पर क्लिक कर पूर्व की प्रक्रिया की भांति ही किया जायेगा।

13. यदि किसी बिन्दु पर किसी साक्षी का प्रति परीक्षण कराया जाना आवश्यक हो तो माड्यूल में "प्रतिपरीक्षण" के लिंक पर क्लिक कर तथा उस बिन्दु का स्वतः स्पष्ट विवरण देते हुए साक्षी का नाम तथा ई–मेल अंकित कर सबमिट किया जायेगा। सबमिट करते ही साक्षी के ई–मेल पर विवरण प्रेषित हो जायेगा।

14. कर निर्धारण अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि बार–बार अथवा अलग–अलग सूचना के लिये पृथक–पृथक नोटिस निर्गत न किये जायें। इससे न केवल वाद के निस्तारण में विलम्ब होता है, अपितु व्यापारी को भी कठिनाई होती है। अतः आवश्यक होगा कि कर निर्धारण अधिकारी प्रस्तुत अभिलेखों का भली–भांति अध्ययन कर लें व तद्नुसार ही स्वतः स्पष्ट नोटिस निर्गत करें।

15. सम्पूर्ण कार्यवाही का स्टेटस मुख्यालय पर अनुश्रवण हेतु Visible होगा साथ ही कार्पोरेट सर्किल के व्यापारी द्वारा भी वाद के निस्तारण संबंधी अद्यतन स्थिति ई सर्विसेज लॉगिन से किसी भी समय ज्ञात की जा सकती है।

16. व्यापारी द्वारा अपने वाद का स्टेटस ई–सर्विसेज लॉगिन से प्राप्त किया जा सकता है।

17. कर निर्धारण अधिकारी को लीगल टैक्स इवेजन/टैक्स एवायडेंस की रोकथाम सुनिश्चित करने हेतु समव्यवहारों की प्रकृति का अध्ययन करने हेतु पर्याप्त समय मिलेगा।

कार्पोरेट सर्किल के वादों के निस्तारण हेतु उपर्युक्त प्रक्रिया अपनाई जाएगी तथा व्यापारी/उसके प्रतिनिधि को व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। ई–हियरिंग की इस प्रक्रिया से सम्पूर्ण पारदर्शिता के साथ–साथ विभाग एवं व्यापारी के मध्य न्यूनतम इण्टरफेस सुनिश्चित होगा। इसके अतिरिक्त ई–हियरिंग से जहां एक ओर वादों का त्वरित निस्तारण होगा, वहीं दूसरी ओर जी0एस0टी0 व्यवस्था में कर निर्धारण तथा रिटर्न स्क्रूटनी के कार्यों की गुणवत्ता भी बढ़ेगी।

21/11/18

(कामिनी चौहान रतन)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।